दैनिक भास्कर

पटना, बुधवार, 22 जनवरी, 2020 | 2

उत्कर्ष इन्फ्रा कंस्ट्रक्शन और तीन निदेशकों के खाते से निकासी पर रोक

पटना| रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने फुलवारीशरीफ की मित्रमंडल कॉलोनी में अपार्टमेंट (केदार पैलेस) बना रही उत्कर्ष इन्फ्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उसके तीन निदेशकों के बैंक अकाउंट से निकासी पर रोक लगा दी है। कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करते हुए दूसरे राज्य के रेरा से भी उसपर बैन लगाने का आग्रह किया है। रेरा ने तीनों निदेशकों की चल-अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री पर भी रोक लगाने के लिए आईजी रजिस्ट्रेशन को कहा है। मात्र साढ़े तीन साल (मई 2012 से अक्टूबर 2015) में निर्माण पूरा कर आवंटियों को फ्लैट देने का एग्रीमेंट करने वाली यह कंपनी अब तक निर्माण पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे में रेरा ने निदेशकों को निर्देश दिया है कि पूरा पैसा देने वाले फ्लैट आवंटियों को नवंबर 2016 से 7 फीसदी की दर से सूद भी दें। रेरा में इस प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करने का भी निर्देश दिया गया है। तीनों निदेशकों से केदार पैलेस के सारे अधिकार छीनते हुए फ्लैट आवंटियों से आपस में एसोसिएशन बनाकर निर्माण और मेंटेनेंस करने के लिए रेरा को प्रस्ताव देने को कहा है।